

24/4/24
18/4/24
2

18/4/24
पत्रावली / कर्मनाय उप.
अनुप / विकारी
दौर / त्त
पत्रावली / दा
दिनांक 13/6/24

~~13-6-20~~
26/4/2024

वकील आर्थी ने आर्थना पत्र मिसल ललकी
~~के~~ प्रथम आर्थना पत्र बिना चेष्ट किया जो
आमिल पत्रावली किया गया। वकील आर्थी
द्वारा उम्मत आर्थना पत्र स्वीकार किया जाके
पर पत्रावली चियत उकजाही लारील चेष्टी से
ललब की जाकर आज येम हुई। वकील
आर्थी ने आर्थना पत्र बिना उत्तर करनिवेद



तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

किंवा कि उगवती प्रकार से गर्ची व अगर्चीगत के मध्य राजीनामा हो चुका है। गर्ची गर्चन पत्र अस्पष्ट निवेद्याना में आगे कोई भी कार्यवाही नहीं चालता है। अतः गर्चन पत्र अस्पष्ट निवेद्याना विज्ञा स्वीकार कर हस्तगत गर्चन पत्र अस्पष्ट निवेद्याना विज्ञा किसे जोने की अनुमति प्रदान की जावे।

वकील गर्ची का गर्चन पत्र विज्ञान्माप्रहित में स्वीकार किया जाकर हस्तगत गर्चन पत्र अस्पष्ट निवेद्याना विज्ञा किसे जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही अंशित नहीं है। अतः कार्यवाही प्रकार इसी स्तर पर D20P की जाती है। पत्रावली फंसल शुमार होकर लम्बर से कम हो, तथा बाड लकमील जाया दाखिल दफतर हो, निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



निधान
(नेटा मिश्रा)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)